

राजस्थानसरकार
खाद्यएवंनागरिकआपूर्तिविभाग,
खाद्य भवन, शासनसचिवालय, जयपुर।

ई-मेल :- acfood-rj@nic.in

दूरभाषनंबर:- 0141-2227117, 2227911

क्रमांकएफ 2(08)खा.वि./स्था.प्र/2001

जयपुर, दिनांक : 22/08/2024


आदेश

राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधीनस्थ सेवा नियम, 1974 के तहत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 14.08.2024 में की गई अभिशंषा के आधार पर निम्नांकित प्रवर्तन निरीक्षकों को वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के कोटे में आस्थगित (Deffer) रखे गए पदों पर वरिष्ठता एवं योग्यता से प्रवर्तन अधिकारी (पे-लेवल L- 11, ग्रेड-पे 4200) के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित वर्ष में पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	रिक्ति /डी.पी.सी. वर्ष	पदोन्नति प्रभावी होने की तिथि
1	2	3	4
1	श्रीमती सुनीता वर्मा	2014-15	01.04.2014
2	श्री अशोक कुमार योगी	2015-16	01.04.2015
3	श्री गजेन्द्र कुमार बाबू		01.04.2015
4	श्री धर्मेन्द्र कुमार रोत		01.04.2015
5	श्री हरविन्द्र शर्मा		01.04.2015
6	श्री अर्पित अग्रवाल		01.04.2015
7	श्रीमती रजनी स्वामी		01.04.2015
8	श्री जयराम		01.04.2015
9	श्री निशांत पंचौली		01.04.2015
10	श्री राम स्वरूप	2016-17	01.04.2016

पदोन्नति पश्चात् उपरोक्त कार्मिक पूर्वानुसार पदस्थापन पद पर अग्रिम आदेशों तक कार्य करते रहेंगे। इनकी वरिष्ठता मूल वरिष्ठता अनुसार निर्धारित की जायेगी। पदोन्नत कार्मिकों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।


यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


22.8.24
(रामस्वरूप)

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार |
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर |
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर |
4. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त (खाद्य) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर |
5. समस्त अधिकारीगण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर |
6. ए.सी.पी. मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं सम्बंधित को ई-मेल करवाया जाना सुनिश्चित करें |
7. समस्त पदोन्नत प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपनी उपस्थिति वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में दी जाकर, उपस्थिति रिपोर्ट विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें |
8. निजी पत्रावली सम्बंधित प्रवर्तन अधिकारीगण श्री
9. विभागीय गोपनीय प्रतिवेदन / जांच / भुगतान शाखा |
10. रक्षा पत्रिका |

 22-8-24
उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव